आयुष्मान भारत 'निरामयम्'

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, मध्यप्रदेश

आई.ई.सी ब्यूरो, प्रथम एवं द्वितीय तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल म.प्र.
www.ayushmanbharat.mp.gov.in । दूरभाष-0755-2763386

क्रमांक/एसएचए/एबी/2024/ 3516 **भोपाल, दिनांक** 30 **/10/2024**

प्रति,

समस्त, जिला कलेक्टर

मध्यप्रदेश

विषय- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के संबंध में।

सन्दर्भ- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण(NHA) से प्राप्त D.O. No. S-12018/395/2022-NHA, Dtd. 20/09/2024

---00---

संदर्भित पत्रानुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सके।

योजना के महत्वपूर्ण घटक

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने** की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारम्भ हो चुका है ।
- योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा, तथा पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आई डी की आवश्यकता होगी।
- पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत **एक नया विशिष्ट कार्ड** जारी किया जा रहा है।
- जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से ही AB PM-JAY के तहत कवर हैं, उन्हें **अपने लिए अतिरिक्त ₹5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज** मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे।
- **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों** को पारिवारिक आधार पर ₹5 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी।
- जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और **केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ECHS), आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF)** जैसी

अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना या AB PM-JAY में से किसी एक को चुन सकते हैं, किन्तु योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जाएगा ।

- यह स्पष्ट किया गया है कि **70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) योजना के अंतर्गत आते हैं**, वे भी AB PM-JAY के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

योजना के तहत राज्य में हितग्राही एवं लाइनलिस्ट

- समग्र डेटाबेस अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 38,60,606 परिवारों के 47,91,400 पात्र हितग्राही सदस्य हैं। जिलावार रिपोर्ट संलग्न हैं।
- समग्र डेटाबेस से प्राप्त 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की लाइनलिस्ट ईमेल के माध्यम से दिनांक 30/10/2024 को प्रेषित की जा चुकी है। साथ ही साथ समग्र पोर्टल से सदस्यों का विवरण, जैसे समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, पता, जन्मतिथि संबंधी रिपोर्ट https://spr.samagra.gov.in के ग्राम पंचायत/वार्ड लॉगिन पर रिपोर्ट section में (Report --->Family Report-->View Download Register) पर उपलब्ध हैं।

सक्रीय बीआईएस आईडी

- प्रदेश में इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले के पास पर्याप्त सक्रीय बीआईएस आईडी उपलब्ध हैं जिसकी जिलावार ज.नकारी संलग्न हैं| योजनांतर्गत हितग्राहियों के पंजीकरण के लिए 1 लाख 29 हजार आईडी आशा, ग्राम रोजगार सहायक(GRS), एएनएम(ANM), अन्य चिन्हाकित कर्मचारियों एवं संबद्ध अस्पतालों हेतु बनाई गई हैं।
- जिले में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बीआईसी UMP पोर्टल के माध्यम से बनायी जा सकती हैं। UMP पोर्टल के माध्यम से BIS आईडी बनाने की प्रक्रिया संलग्न हैं।

योजनान्तर्गत कार्ड बनाने की प्रक्रिया

- योजनान्तर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ एवं आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से किया जावेगा। (बी.आई.एस यूजर द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया संलग्न)
- वरिष्ठ नागरिक स्वयं भी अपना पंजीकरण वेब पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in/ अथवा आयुष्मान ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beneficiaryapp के माध्यम से कर सकते हैं | (स्वयं पंजीकरण करने की प्रक्रिया संलग्न)

उपलब्ध संबद्ध अस्पताल एवं प्रोसीजर

- वर्तमान में कुल 1,048 अस्पताल सम्बद्ध हैं एवं कुल 1,952 प्रकार के प्रोसीजर विभिन्न विशेषताओं के अंतर्गत उपचार के लिए उपलब्ध हैं। योजनांतर्गत संबंद्ध अस्पतालों की जिलावार सूची संलग्न हैं।

उपरोक्त कार्य की दैनिक समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा की जाए, और साप्ताहिक समीक्षा जिला कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित की जाए। उपरोक्तानुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के प्राथमिकता से शतप्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें।

30.10.24

(संदीप यादव)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक/ एसएचए/एबी/2024/ 3517 — **भोपाल, दिनांक** 30**/10/2024**

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम', मध्यप्रदेश।
4. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश।
5. महाप्रबंधक(ऑपरेशन/विधि), आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभाग प्रभारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश, संबंधित संभाग में उक्त योजना के सफल क्रियान्वन हेतु जिलों के साथ आवश्यक समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. स्टेट हेड टी.पी.ए. क्लस्टर-1, स्टेट हेड टी.पी.ए. क्लस्टर-2 एवं स्टेट हेड बी.एफ.ए. सबंधित जिला आयुष्मान सहायक/समन्वयकों को उक्त योजना को सफल बनाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

30.10.24

प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश